चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर

प्रबन्ध मण्डल की 160वीं बैठक

का कार्यवृत्त

दिनाँक : 06.12.2021

दिन : सोमवार

समय : अपरान्ह 1:00 बजे

स्थान : कुलपति महोदय का सभाकक्ष

[illegible] विश्वविद्यालय, कानपुर
प्रबन्ध मण्डल की 160वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 06.12.2021

सभास्थल : कुलपति महोदय का समिति कक्ष

समय : अपरान्ह 3:00 बजे

उपस्थिति :-

1.	डा0 डी0आर0 सिंह, कुलपति एवं अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल	अध्यक्ष
2.	श्री शत्रुन्जय सिंह, विशेष सचिव, कृषि	सदस्य / प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव कृषि शिक्षा
3.	श्री अजय जौहरी, अपर निदेशक कोषागार, कानपुर मण्डल	सदस्य / प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव वित्त
4.	श्री रिपुदमन सिंह, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानुपर	सदस्य / प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा
5.	श्री डी0 के0 सिंह, संयुक्त निदेशक कृषि, कानपुर	सदस्य / प्रतिनिधि निदेशक कृषि
6.	डा0 एस0एस0 पवार सह निदेशक पशुपालन विभाग	सदस्य / प्रतिनिधि निदेशक पशुपालन
7.	श्री अमिताभ बाजपेयी, विधायक	सदस्य
8.	श्री विनोद कुमार कटियार, विधायक	सदस्य
9.	श्री विष्णु प्रताप सिंह,	सदस्य
10.	श्री सत्य नारारण शुक्ला	सदस्य
11.	श्रीमती पूनम देवी	सदस्य
12.	श्री आर0एन0 सिंह, अर्थ नियन्त्रक, सचिव प्रबन्ध मण्डल	सचिव

[illegible] (प्रसार), डा० उपेन्द्र कुमार [illegible], डा० देवेन्द्र बहादुर सिंह वैज्ञानिक (उद्यान) एवं डा० अवनीन्द्र कुमार तिवारी, वैज्ञानिक (फसल सुरक्षा), उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लखनऊ में प्रतिनियुक्ति के आधार पर परियोजना प्रबन्धक के पद पर चयन हो जाने के फलस्वरूप अतिरिक्त धारणाधिकार स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव।

मा0 प्रबन्ध मण्डल को अवगत कराया गया कि लियन पर गये उक्त वैज्ञानिकों द्वारा अपने–2 पदो पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। जिसे प्रबन्ध मण्डल की 157वीं बैठक में अतिरिक्त धारणाधिकार/लियन स्वीकृत हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। मा0 प्रबन्ध मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि शासन ने इस प्रकार के प्रकरण में कतिपय अन्य प्रतिनियुक्ति पर गये वैज्ञानिकों के धारणाधिकार आवधि बढाये जाने का प्रकरण विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्तर से निस्तारित किये जाने के दृष्टिगत मार्गदर्शन का औचित्य न पाते हुये विश्वविद्यालय स्तर से ही निस्तारित करने का निर्देश दिया है, तथापि प्रबन्ध मण्डल के द्वारा पूर्वगामी तिथि से धारणाधिकार स्वीकृत किये जाने पर असमर्थता व्यक्त की गयी। प्रबन्ध मण्डल के मा0 सदस्य श्री विष्णु प्रताप सिह द्वारा समिति को यह अवगत कराया गया कि प्रतिनियुक्त विभाग के द्वारा अपनी आवश्यकता के दृष्टिगत कार्यमुक्त न किये जाने के कारण विलम्ब से कार्यभार ग्रहण किया गया है, जिसमे वैज्ञानिकों का कोई दोष नही है।

निर्णय– मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया तथा निर्देश दिये गये कि अतिरिक्त धारणाधिकार के सम्बंध में सम्पूर्ण तथ्यों से शासन को अवगत कराते हुये पुनः मार्ग दर्शन प्राप्त किया जाय।

6. प्रस्ताव– विश्वविद्यालय स्थित नोडल सेल (आई0सी0ए0आर0) Single Window के अन्तर्गत संचालन हेतु पूर्व से कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटर (संविदा) श्री प्रमेन्द्र सिंह के नियत प्रतिमाह मानदेय का भुगतान आई0सी0ए0आर0 के पत्र दिनां 26.09.2021 (छायाप्रति संलग्न) की व्यवस्थानुसार छात्र/छात्राओं द्वारा विश्वविद्यालय में जमा की जा रही फीस आदि मदो से भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय– मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 अथवा आई0सी0ए0आर0 से बजट प्राप्त होने जो भी पहले हो तक की शर्त के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

		[illegible] विभिन्न संकायों में शासन द्वारा सृजित एवं रिक्त शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु शैक्षिक अर्हता, स्कोर कार्य आरक्षण/रोस्टर आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विज्ञापन इत्यादि पर अनुमोदन प्रदान करने सम्बन्धी प्रस्ताव। प्रस्ताव पर मा0 प्रबन्ध मण्डल के कुछ सदस्यों द्वारा आपत्ति करते हुये कहा गया कि सम्पूर्ण पदों का एक साथ आरक्षण/रोस्टर तैयार किया जाये तदनुसार जिस श्रेणी/समूह के पद रिक्त हो, उन्ही श्रेणी/समूह की नियुक्ति के पद विज्ञापित किये जायें। तद्क्रम में मा0 सदस्यों को संज्ञानित कराया गया कि प्रश्नगत विज्ञापन सम्बन्धी कार्यवाही शासनादेश सं0 1788727/2021 /कृशिअ–67–1001(099)/301/2019 दिनांक 10.09.2021 मे बिन्दु सं0–03 एवं 05 पर उल्लिखित व्यवस्थानुसार जिन पदों का विज्ञापन किया जाना है केवल उन्ही पदों पर रोस्टर तैयार किया गया है। शासन के निर्देशों एवं मा0 प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों के अनुसार आरक्षण/रोस्टर तैयार किये जाने मे विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। निर्णय– प्रबन्ध मण्डल के मा0 सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण प्रकरण शासन को संदर्भित करते हुये, शासन से पुनः मार्गदर्शन प्राप्त करते हुये प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।
13		प्रस्ताव– वित्त उपसमिति की बैठक दिनांक 8.10.2021 के विचारित/संस्तुत प्रस्ताव विचारार्थ/अनुमोदनार्थ (कार्यवृत्त एवं प्रस्ताव संलग्न भाग–1 एवं 2)। निर्णय– मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
14		**अन्य प्रस्ताव।**
		वित्त उपसमिति की दिनांक 6.12.2021 को अपरान्ह 1.00 बजे आहूत बैठक के विचारित/संस्तुत एवं कार्यवृत्त के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।
	1.	प्रस्ताव– वित्त उप समिति की बैठक दिनांक 8.10.2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन हेतु प्रस्ताव। निर्णय– मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा वित्त उपसमिति के कार्यवृत्त का अनुमोदन/पुष्टि की गयी।

		[illegible] (सुरक्षा), [illegible]के0, [illegible] को दिनांक 2[illegible].0[illegible].20[illegible] से [illegible].07.2020 तक अतिरिक्त धारणाधिकार स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव। निर्णय– मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा पूर्वगामी तिथि से धारणाधिकार स्वीकृत किये जाने पर असमर्थता व्यक्त करते हुये प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया तथा निर्देश दिये गये कि अतिरिक्त धारणाधिकार के सम्बंध में सम्पूर्ण तथ्यों से शासन को अवगत कराते हुये पुनः मार्ग दर्शन प्राप्त किया जाय।
पूरक–2		प्रस्ताव– विश्वविद्यालय के बीज सम्बर्द्धन प्रक्षेत्र बोझा, दलीपनगर से प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभार, कानपुर द्वारा 30.00 हे0 ऊसर भूमि पर वर्षाकाल 2021 से वृक्षारोपण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में। निर्णय– मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
पूरक–3		प्रस्ताव– श्री अतहर हुसेन वारसी, वैज्ञानिक (फसलोत्पादन) कृषि विज्ञान केन्द्र अलीगढ को पी–एच0डी0 अध्ययन हेंतु अध्ययन अवकाश स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव। निर्णय– मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
पूरक–4		प्रस्ताव– कृषि अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में पूर्व की भॉति शैक्षणिक पदों को नियत वेतन, नियत अवधि के अधीन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव। निर्णय– मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा संविदा शिक्षकों के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
पूरक–5		प्रस्ताव– इटावा प्रांगण में बेसिक साइंस एण्ड हयुमेनिटिज महाविद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव। निर्णय– मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
पूरक–6		प्रस्ताव– मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं खण्डपीठ लखनऊ के आदेश के विरूद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित की जाने वाली एस0एल0पी0 हेतु विश्वविद्यालय अधिवक्ता शुल्क निर्धारित किये जाने विषयक। निर्णय– मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

6. 7. 9.

अन्त में बैठक मा0 अध्यक्ष एवं सम्मानित सदस्यों को सधन्यवाद सम्पन्न हो गयी।

(आर0एन0 सिंह)
अर्थ नियन्त्रक
एवं
सचिव प्रबन्ध मण्डल

अनुमोदित

(डी0आर0 सिंह)
कुलपति
एवं
अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल